

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2026/1009

दिनांक:- 07 मार्च, 2026

- : आ दे श : -

01 माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक G/II/B-4(i)(a)/25/2026/182 दिनांक 18.02.2026 द्वारा निम्न सारणी में अंकित कर्मचारी का निम्नांकित शर्तों के अधीन जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में अंतर्जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण का अनुमोदन किया गया है :-

- 1- प्रार्थी/प्रार्थिया को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 2- प्रार्थी/प्रार्थिया कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
- 3- प्रार्थी/प्रार्थिया स्थानान्तरित न्यायक्षेत्र में वरिष्ठता का क्लेम नहीं करेंगे।

अतः अंतर्जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप निम्न कर्मचारीगण का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालयों में निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	जयपुर महानगर-1 में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
01	Ramji Lal Sharma Clerk Gr.-I Rajsamand Judgeship	20.02.2026 F/N	Spl. Court, NDPS Cases	लिपिक ग्रेड-1 के रिक्त पद पर

नोट:-

- a) उक्त कर्मचारी का वेतन इस न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त पदस्थापन न्यायालय से गत भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार आहरित किया जावेगा।
 - b) उपरोक्त कर्मचारी के इस न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से कार्यग्रहण करने का इन्द्राज उनकी सेवा पुस्तिका/सेवा रोल में पदस्थापन न्यायालय द्वारा किया जावेगा।
- 02 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारी का पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	02	03	04
01	जाकिर अली तामील कुनिन्दा	ADJ Bassi	Spl. Court, CBI No. 3
02	मीना मीणा च0श्रे0क0	ACJM No. 8	DJ Court

03 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	कविता वर्मा लिपिक ग्रेड-1A (स्वयं के निवेदन पर)	ACJM No. 2	ACJ&JM No. 18 (Sanganer HQ)	जितेन्द्र कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड-1A
2.	जितेन्द्र कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड-1A (स्वयं के निवेदन पर)	ACJ&JM No. 18 (Sanganer HQ)	ACJ&JM No. 19 (Chaksu HQ)	माधो सिंह दशोगा लिपिक ग्रेड-1A
3.	माधो सिंह दशोगा लिपिक ग्रेड-1A (स्वयं के निवेदन पर)	ACJ&JM No. 19 (Chaksu HQ)	ACJM No. 7	सुरेश चन्द मीणा लिपिक ग्रेड-1A
4.	सुरेश चन्द मीणा लिपिक ग्रेड-1A	ACJM No. 7	ACJM No. 2	कविता वर्मा लिपिक ग्रेड-1A
5.	जाकिर अली तामील कुनिन्दा (स्वयं के निवेदन पर)	ADJ Bassi	DJ Court	तामील कुनिन्दा के रिक्त पद पर
6.	मीना मीणा च0श्रे0क0	ACJM No. 8	ACJ&JM No. 2	च0श्रे0क0 के रिक्त पद पर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
7.	प्रहलाद मीणा च०श्रे०क०	ADJ No. 9	Spl. Court, CBI No. 3	च०श्रे०क० के रिक्त पद पर

नोट:- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारीगण को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

04 जयपुर महानगर-I में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
01	रामजी लाल शर्मा लिपिक ग्रेड-I	Spl. Court, NDPS Cases	Spl. Court, CBI No. 1
02	योगेश कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड-I	Spl. Court, CBI No. 1	Spl. Court, CBI No. 5
03	जाकिर अली तामील कुनिन्दा	DJ Court	ADJ No. 9

नोट:-

- उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-I की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-II की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।


07.3.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2026/ 1069

दिनांक:- 07 मार्च, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा/तामील शाखा), जिला न्यायालय
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली


07.3.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम